



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1918]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936

No. 1918]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

का.आ. 2440(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2594(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, टिप्पणियों के अधीन विद्यमान पैरा 4 :-

4. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थान के पथकर प्लाजा पर विनिर्दिष्ट लंबाई के लिए किया जाएगा :

पथकर प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है
राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 6 पर 42.00 किमी	सेक्शन की 80.90 किमी लम्बाई और 7.30 किमी बारागढ़ बाइपास, जिसकी प्राक्कलित लागत 74.00 करोड़ रुपए है ।

निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

4. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थान के पथकर प्लाजा पर विनिर्दिष्ट लंबाई के लिए किया जाएगा :

पथकर प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है
राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 6 का 41.00 किमी	सेक्शन की 80.90 किमी लम्बाई और 7.30 किमी बारागढ़ बाइपास, जिसकी प्राक्कलित लागत 74.00 करोड़ रुपए है ।

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान पैरा 5 :-

5. फीस के संदाय से छूट, अतिभराई वाहनों के लिए फीस की दरें, दरों में छूट उक्त नियमों के अनुसार होंगी ।

निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

5. फीस के संदाय से छूट, अतिभराईयुक्त वाहनों के लिए फीस की दरें, दरों में छूट आदि उक्त नियमों और अतिभराईयुक्त वाहनों से संबंधित खण्ड हेतु सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16.12.2013 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार होंगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 622 / 11-12 / सीओ / जीसी सम्बलपुर-उड़ीसा / छत्तीसगढ़ सीमा (0-88) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2014

S.O. 2440(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 2594(E), dated 17th November, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, under the Notes the existing para 4:-

4. The fee shall be collected at the following location of Toll Plaza for the length specified:

Location of Toll Plaza	Length (in km) for which Fee payable
Km 42.00 of National Highway No.—6	For 80.90 Kms length of the section and for 7.30 Kms of Baragarh bypass, the estimated cost of which is rupees 74.00 Crores.

Shall be substituted as:-

4. The fee shall be collected at the following location of Toll Plaza for the length specified :

Location of Toll Plaza	Length (in km) for which Fee payable
Km 41.00 of National Highway No.—6	For 80.90 Kms length of the section and for 7.30 Kms of Baragarh bypass, the estimated cost of which is rupees 74.00 Crores.

In the said notification, existing para 5:-

5. Exemption from payment of fee, rates of fee for overloaded vehicles, discounts in rates etc. shall be in accordance with the said rules.

Shall be substituted as:-

5. Exemption from payment of fee, rates of fee for overloaded vehicles, discounts in rates etc. shall be in accordance with the said rules and its amendment *vide* G.S.R.778(E) dated 16.12.2013 for the clause regarding overloaded vehicles.

[F. No. NHAI/13013/622/11-12/CO/GC Sambalpur–Orissa/Chhatisgarh Border (0-88) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.